प्रेस विज्ञप्ति

26/09/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला सब जोनल कार्यालय ने श्रीमती अशोनी कंवर पत्नी राज कुमार राणा और मनदीप राणा पुत्र राज कुमार राणा के खिलाफ भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), विशेष न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, शिमला के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। उक्त आवेदन एक प्रकरण से जुड़े मामले में दायर किया गया है, जिसकी जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मानव भारती विश्वविद्यालय, लाडो, सुल्तानपुर, सोलन द्वारा फर्जी डिग्रियों की बिक्री के मामले में की जा रही है। आपराधिक गतिविधि यानी फर्जी डिग्रियों की बिक्री के परिणामस्वरूप, राजकुमार राणा और उनके सहयोगियों ने लगभग 387 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) प्राप्त की।

इसके अलावा, जांच के दौरान पता चला कि सुश्री अशोनी कंवर और मनदीप राणा ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। दोनों व्यक्तियों को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे कभी जांच में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा, जांच के दौरान ईडी द्वारा 12.12.2022 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई थी। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 04.01.2023 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया और श्रीमती अशोनी कंवर और मंदीप राणा को समन जारी किए, जिनका उन्होंने अनुपालन नहीं किया। इसके अनुसरण में, उनके खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा 04.11.2023 को खुले गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। इसलिए, उक्त आवेदन माननीय विशेष न्यायालय, शिमला के समक्ष दायर किया गया है जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के तहत उक्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने और एफईओए, 2018 की धारा 12 के प्रावधानों के तहत दोनों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया गया है।